जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क. एफ/विकास/2023/1060 दिनांक 06/12/2023

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष,
   समस्त अध्ययनशालायें,
   जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. प्राचार्य,
   जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध,
   समस्त महाविद्यालय।

विषय : प्रावधिक शिक्षक वरिष्ठता सूची 2024 का प्रकाशन।

महोदय/महोदया,

परिनियम 19.6(ए) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं तथा महाविद्यालयों की प्रावधिक शिक्षक वरिष्ठता सूची 2024 का प्रकाशन कर आपकी ओर अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित हैं। विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्यो से निवेदन हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की गई उक्त प्रावधिक वरिष्ठता सूची 2024 को वे अपने विभाग एवं महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर शिक्षकों की जानकारी में लाये जाने हेतु कृपया चस्पा करें।

उक्त प्रकाशित प्रावधिक वरिष्ठता सूची 2024 में विभाग अथवा महाविद्यालय में पदस्थ किसी शिक्षक को प्रकाशित की गई जानकारी के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ हो अथवा कोई तथ्य छूट गया हैं तो ऐसे शिक्ष कइस त्रुटि अथवा कमी के संबंध में अपना पक्ष कारण एवं प्रमाण सहित दिनांक 14/12/2023 तक उचित माध्यम से कुलसचिव को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्तियाँ प्राप्त न होने पर अथवा साक्ष्य रहित या उचित माध्यम से प्राप्त न होने पर किसी प्रकार की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जायेगी जिसके लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि कोई आपत्तिकर्ता इस वरिष्ठता सूची में संशोधन विषयक किसी प्रकार व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो इसका उल्लेख विशेष रूप से उसके द्वारा अपनी आपत्ति संबंधी पत्र में किया जाना आवश्यक है, उचित तरीके एवं स्पष्ट आपत्तियाँ प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि प्रावधिक सूची 2024 मे सम्मिलित शिक्षक/शिक्षकों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और निर्धारित समय पर अंतिम शिक्षक वरिष्ठता सूची 2024 का प्रकाशन कर दिया जावेगा। उक्त प्रावधिक वरिष्ठता सूची 2024 विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.jiwaji.edu पर देखी जा सकती है। वरिष्ठता सूची संबंधी आपत्तियाँ विश्वविद्यालय की आवक शाखा में जमा करावें।

कृपया इस पत्र को महत्वपूर्ण मानते हुये प्राथमिकता के साथ समूचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(समस्त समबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक ई.सी. द्वारा अनुमोदित प्रपत्र अनिवार्यतः संलग्न करे, तत्पश्चात वरिष्ठता सूची 2024 में नाम अंकित किया जा सके।)

संलग्न – उपरोक्तानुसार

कुलसचिव